आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.3.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 13/2013–14 69/2013–14 विनोद कुमार भगत, पिता–श्री रधुनाथ प्रसाद, ग्राम+पो0–काली टोला, पटेल चौक, फारबिसगंज, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – अपीलार्थ/आवेदक **बनाम** 1. मेराज आलम, पिता–स्व0 अब्दुल लतीफ, सा0–दरभंगिया टोला, फारबिसगंज 2. जय कृष्ण बनर्जी, पिता–प्रकाश बनर्जी, सा0–बंगाली टोला, फारबिसगंज 3. शांति देवी, पति–जटेस्वर दास, ग्राम–ढ़ोलबज्जा, थाना–फारबिसगंज 4. प्रभात नवजीत प्रसाद, पिता–जटेस्वर दास, ग्राम–ढ़ोलबज्जा, थाना–फारबिसगंज 5. रवि प्रकाश, पिता–जटेस्वर दास, ग्राम–ढ़ोलबज्जा, थाना–फारबिसगंज 6. नीलू देवी, पति–राकेश कुमार, सा0–ढ़ोलबज्जा, थाना–फारबिसगंज 7. शतीश शर्मा, पिता–टोटा राम शर्मा, सा0–फारबिसगंज 8. नंद लाल तिवारी, पिता–किशोरी लाल तिवारी, सा0–फारबिसगंज 9. निताय कुमार डे, पिता–अभीकांत डे, सा0–बंगाली पट्टी, थाना–बीरपुर, जिला–सुपौल 10. सुषमा कुमारी, पति–सनमोल कुमार ठाकुर, सा0–कटहारा तथा प्रमोद कुमार ठाकुर, पिता–गणेश ठाकुर, सा0–फारबिसगंज **आदेश** प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद आवेदक विनोद कुमार भगत, पिता–श्री रधुनाथ प्रसाद, सा0–काली टोला, पटेल चौक, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील सं0 40/2012–13 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध विलम्ब को क्षांत करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत आवेदन के साथ समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 16.08.2013 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता महोदय द्वारा दिनांक 31.01.2014 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 213/वि0, दिनांक 06.02.2014 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।	

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	कुल रकवा
फारबिसगंज	234	285	14.45 एयर
		237	06.05 एयर
		124	08.60 एयर
	292	240	02.35 एयर
		254	06.00 एयर
		262	03.90 एयर
			कुल 41.35 एयर

न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सं0 9 निताय कुमार डे जो सुपौल जिला के है, को निबंधित डाक द्वारा सूचना दी गई तथा विपक्षी सं0 2, 3, 6, 7, 8 एवं 10 का सही पता नहीं रहने के कारण तथा इनलोगों की ओर से जमीन बिक्री कर अन्यत्र चले जाने के कारण सूचना बिना तामिला के वापस प्राप्त हुआ। जिसे आवेदक के अधिवक्ता के अनुरोध पर सूचना गजट प्रकाशन कर हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 23.8.2015 को सूचना प्रकाशन की गई। तदोपरांत विपक्षी सं0 1, 3, 4, 5, 6 एवं 7 की ओर से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। विपक्षी सं0 8 एवं 9 वकालतनामा के साथ उपस्थित हुए किन्तु उनकी ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया और न हीं सुनवाई में भाग लिया गया। विपक्षी सं0 02 एवं 10 सूचना गजट प्रकाशन के बावजूद भी कभी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इस प्रकार विपक्षी सं0 2, 8, 9 एवं 10 को वंचित करते हुए उनके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वाद भूमि का निबंधित केवाला अब्दुल लतीफ, मीना खातुन तथा गुलाम कादिर द्वारा दिनांक 19.10.2001 को लिखा गया, परन्तु impounding के कारण उसकी रजिस्ट्री (निबंधन) नहीं हो सकी और impounding का मामला समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष गया। समाहर्त्ता महोदय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक स्टाम्प शुल्क जमा कर आवेदक ने वाद भूमि का रजिस्ट्री अपने नाम दिनांक 14.03.2011 को कराया।

इनका यह भी कहना है कि वर्ष 2001 से दिनांक 14.03.2011 के बीच अब्दुल लतीफ तथा उनके उत्तराधिकारी पुत्र–पुत्रियों द्वारा इनके केवाला की भूमि में से कुछ भूमि कई लोगों (विपक्षीगणों) को निबंधित केवाला द्वारा दिनांक 15.04.2009, 15.09.2009, 23.03.2012, 27.03.2012 एवं 04.11.2009 को बिक्री कर दिया गया। जिसका दाखिल–खारिज भी उनलोगों के नाम से हो गया। जबकि उनके पिता द्वारा प्रश्नगत भूमि वर्ष 2001 में हीं उनके हाथ बिक्री कर दी गई थी। अतएव विपक्षीगणों के नाम की गई नामान्तरण अवैध है तथा विपक्षीयों के नाम की गई निबंधित दस्तावेज भी निबंधन अधिनियम की धारा 48 के विरूद्ध है।

इनका यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि क्रय उपरांत वाद भूमि पर दखलकार हुए तथा उसका नामान्तरण हेतु अंचल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष आवेदन दाखिल किया। जिसका नामान्तरण वाद सं0 1294/2011–12 को यांत्रिक ढ़ंग से अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा यह कहते हुए की जमाबंदी में उतनी जमीन नहीं है, अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि आवेदक के दाखिल आवेदन के समय जमाबंदी में कुछ जमीन शेष बची हुई थी। अंचलाधिकारी द्वारा स्वयं स्थल का निरीक्षण भी नहीं किया गया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 40/2012–13 दाखिल किया गया। जिसे भी विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा यांत्रिक ढ़ंग से उनके दावे की अनदेखी करते हुए उनके अपील आवेदन को दिनांक 31.05.2013 को अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदक द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.6.2013 को चिरकूट एवं सूचना आवेदन दाखिल किया गया, किन्तु उन्हें सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 31.07.2013 को प्राप्त हुआ। जबकि आवेदक द्वारा दिनांक 31.5.2013 के बाद से लगातार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय से सम्पर्क किया गया। फिर भी उन्हें समय पर सच्ची प्रतिलिपि और न हीं सूचना आवेदन का जवाब प्राप्त कराया गया। जिसके क्रम में आवेदक के भाई द्वारा समाहर्त्ता, अररिया को दाखिल आवेदन पर तत्कालीन् अपर समाहर्त्ता, अररिया द्वारा भी अपने पत्रांक 36/रा0, दिनांक 04.01.2014 को समर्पित प्रतिवेदन में अंचलाधिकारी, फारबिसगंज एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के क्रिया–क्लाप को दोषपूर्ण बताया गया है। अतः इस पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए विज्ञ अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वाद भूमि का केवाला अब्दुल लतीफ द्वारा जरूर किया गया। परन्तु impounding के कारण वह केवाला निष्पादित नहीं हुआ तथा आवेदक द्वारा विक्रेता अब्दुल लतीफ को वाद भूमि का मूल्य भी नहीं चुकाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जब समाहर्त्ता से अनुमति प्राप्त हो जायेगी तब केवाला निबंधित होगी और तभी भूमि का मूल्य चुकायेंगे। मूल्य नहीं चुकाये जाने के विरूद्ध अब्दुल लतीफ द्वारा समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष आपत्ति भी दाखिल की गई थी। परन्तु उसके उपरांत वर्ष 2002 में अब्दुल लतीफ की मृत्यु हो गई और आवेदक द्वारा समाहर्त्ता के समक्ष उनके वारिशानों को बिना पक्षकार बनाये एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया गया।

इनका यह भी कहना है कि अब्दुल लतीफ के वारिशानों द्वारा इस बीच वाद भूमि अन्य लोगों के हाथ बिक्री कर दी गई। जिसके क्रेतागण सभी विपक्षीगण है। क्रेतागण द्वारा निबंधन उपरांत प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुए और विधिवत

दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त कर रहें है। क्रेताओं में से कुछ क्रेता द्वारा अपनी खरीदगी भूमि में से कुछ भूमि को अन्य लोगों के हाथ बिक्री भी कर दिया गया है। जिसका भी दाखिल–खारिज हो चुका है और जमाबंदी कायम है। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा कोई वाद दायर नहीं किया गया है। इनका यह भी कहना है कि नामान्तरण का मुख्य आधार दखल कब्जा होता है और आवेदक का वाद भूमि पर कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा स्वयं स्थल जाँच की गई और आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी दखल कब्जा नहीं पाया गया है। साथ हीं impounding के केश में समाहर्त्ता, अररिया द्वारा वर्ष 2004 में आदेश पारित किया गया किन्तु आवेदक द्वारा वर्ष 2011 में भूमि का निबंधन कराया गया है। जबकि प्रश्नगत भूमि वर्ष 2011 के पूर्व ही विपक्षीगणों को बिक्री हो चुकी है। साथ ही वर्त्तमान में प्रश्नगत भूमि को लेकर आवेदक के साथ–साथ सभी पक्षकारों के बीच मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया के समक्ष दिवानी वाद सं0 4/2013 दाखिल है, जो अभी विचाराधीन है एवं उक्त दिवानी वाद सं0 4/2013 के सभी पक्षकार उपस्थित होकर अपना जवाब भी दाखिल कर चुके है तथा दिवानी वाद के विपक्षी सं0 1 तथा इस वाद के आवेदक विनोद कुमार भगत द्वारा दिनांक दाखिल आवेदन 15.4.2014 को मान्नीय मुंसफ द्वारा अस्वीकृत भी किया जा चुका है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के भाग V के क्रमांक 12 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल–खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति न दी जाय, जिसके संबंध में सक्ष्म न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित हो। अतएव विज्ञ अंचलाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पारित आदेश को बहाल रखते हुए आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

अतः उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि अब्दुल लतीफ एवं अन्य से दिनांक 19.10.2001 को क्रय की बात कर निबंधित दस्तावेज impounding उपरांत अब्दुल लतीफ के मरनोपरांत दिनांक 14.3.2011 को रजिस्ट्री कराया गया। किन्तु इस बीच अब्दुल लतीफ तथा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रश्नगत भूमि विपक्षीगणों के हाथ बिक्री कर दखल काबिज करा दिया गया। दखलकार होते हुए क्रेतागणों द्वारा अपने नाम से दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा भी स्वयं दिनांक 31.05.2013 को स्थल निरीक्षण किया गया और आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नहीं पाते हुए आवेदक के नामान्तरण अपील वाद सं0 40/2012–13 को दिनांक 30.05.2013 को अस्वीकृत किया गया है।

वर्त्तमान में प्रश्नगत भूमि को लेकर आवेदक तथा विपक्षीगणों के सभी सदस्यों

के साथ–साथ अन्य लोगों के बीच मुंसफ न्यायालय, अररिया में दिवानी वाद सं0 4/2013 लंबित है। अतः आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज/अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 27 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 25 /03 /2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को नामान्तरण अपील वाद सं0 40/2012–13 (बिनोद कुमार भगत बनाम अंचल पदाधिकारी, फारबिसगंज) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना0 अपील वाद सं0 40/2012–13 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को नामान्तरण वाद सं0 1294/2011–12 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना0 वाद सं0 1294/2011–12 मूल में।

25.3.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया